(5)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण –निगरानी/275/2018 दायरा दिनांक : 13.07.2018

विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा0प0 बीरमाना तहसील सूरतगढ़
2. सरपंच ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़
3. **भगवाना राम पुत्र श्री जगदीश जाति नाई निवासी 1 डीडब्ल्यूएम ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़**

–गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित:–

1. श्री राकेश झोरड़ राजकीय अधिवक्ता, पंचायत समिति सूरतगढ़

:: निर्णय :: दिनांक : 06.12.2023

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 **भगवाना राम पुत्र श्री जगदीश जाति नाई निवासी 1 डीडब्ल्यूएम ग्राम पंचायत** के नाम से पट्टा संख्या 09 पट्टा बुक संख्या 131 दिनांक 22.05.2017 को जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 03 उक्त पट्टा जारी करवाने का अधिकारी नहीं था और ग्राम पंचायत को भी धारा 157 (1) पंचायत राज अधिनियम के तहत उक्त पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। पंचायती राज अधिनियम के नियम 152 के तहत उक्त भूखण्ड जरिये नीलामी ही आवंटित किया जा सकता है। उक्त जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगरानीकर्तागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से श्री राकेश झोरड़ राजकीय अधिवक्ता, पंचायत समिति सूरतगढ़ उपस्थित आये। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 2 को भेजे गये नोटिस विधिवत तामील होने के उपरांत भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 2 के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 25.11.2020 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। गैरनिगरानीकर्ता सं. 3 को अखबार साया से सूचना किये जाने के वाबजूद भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 अनुपस्थित रहे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। श्री राकेश झोरड़ राजकीय अधिवक्ता, पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानी मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा दिनांक 22.05.2017 को जारी किया गया था। ग्राम वासियों द्वारा निगरानीकर्ता के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने पर निगरानीकर्ता को उक्त पट्टो की जानकारी हुई। शिकायतों के भौतिक सत्यापन व जांच हेतु एक कमेटी का गठन दिनांक 23.01.2018 को किया गया था। उक्त जांच कमेटी द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट अप्रेल 2018 में सौपी गई। उक्त रिपोर्ट से निगरानीकर्ता को जैर निगरानी पट्टा जारी होने का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ जिस पर विभागीय स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर को सूचना दी गई। विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर बिना किसी विलम्ब के निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा जान बूझ कर यह निगरानी देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का [illegible] करने की कार्यवाही में विकास अधिकारी पंचायत समिति का कोई हस्तक्षेप/योगदान [illegible] जिससे यह प्रतीत होता है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति को ग्राम पंचायत बीरमाना [illegible] की जानकारी नहीं हो पाई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम [illegible] कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रकरण में [illegible] इसलिए हस्तगत प्रकरण [illegible] तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना [illegible] एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:16:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

6

न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर निगरानीकर्ता की ओर से उपस्थित श्री राकेश झोरड़ राजकीय अधिवक्ता, पंचायत समिति सूरतगढ़ की एक तरफा बहस सुनी गई। श्री राकेश झोरड राजकीय अधिवक्ता, पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दौहराया एवं अतिरिक्त कथन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा खाली भूखण्ड़ का जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 (क) के तहत जारी कर दिया जबकि नियमानुसार पचास वर्ष से अधिक पुराने घरों का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार राशि जमा ना करवाकर ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि भी की है। उक्त पट्टा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर जारी नहीं किया गया है तथा उक्त पट्टा पंजीबद्व भी नहीं करवाया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण संख्या 1444/2017 अनवान सुभाषचन्द्र बनाम महंत भीम भारती आदि में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह माना है कि मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर फोटोकॉपी को भी रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत के निर्णय की प्रमाणित प्रति पूर्व में पेश की जा चुकी है, अतः पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियों को पढा जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का श्रम करें।

हमने अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस पर चिंतन, मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 01.06.2017 के आलोक में हम हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत के अभिलेख की प्रमाणित प्रति के आधार पर ही निर्णय पारित करना उचित समझते हैं।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पाया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार "जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकेगा" उक्त नियम में 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के लिए 100/— राशि निर्धारित की गई है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टे की शर्त संख्या 01 अनुसार उक्त पट्टा पुराने घर पर कब्जा होने की स्थिति में या संनिर्मित किये जाने की स्थति में जारी किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रमाणित प्रति का अलवोकन करने से पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 03 को प्लाट/भूखण्ड़ आवंटन करने के संबंध में ही, समस्त कार्यवाही कर उक्त प्लाट/भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया गया है। उक्त प्लाट पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 का मकान होने संबंधी कोई दस्तावेज ग्रम पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। हस्तगत निगरानी पत्रावली में भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 का विवादित प्लाट पर मकान बना होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा पंजीबद्व भी नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत बीरमाना का पट्टा संख्या 09 दिनांक 22.05.2017 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बीरमाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:16:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner